

## राजस्थान व केन्द्र के मध्य सम्बन्धः एक विवेचना

\*डॉ. ममता शर्मा

### सारांश

केन्द्र एवं राजस्थान के मध्य स्वतंत्रता के बाद से आपसी संबंध कई मुद्दों पर सहयोगात्मक रहे तो कई मुद्दों पर विवादास्पद रहे। केन्द्र में समय-समय पर कांग्रेस, भाजपा एवं अन्य दलों की सरकारें रही। राजस्थान प्रदेश में मुख्य दलों कांग्रेस एवं भाजपा की ही सरकारें रही। इन सरकारों के साथ केन्द्र के संबंध कुछेक मुद्दों पर टकराव के साथ ज्यादातर सहयोगात्मक रहे।

**मुख्य शब्दः** केन्द्र, राजस्थान, सम्बन्ध, मुद्दे, टकराव, सहयोग।

### प्रस्तावना

केन्द्र एवं राजस्थान के मध्य स्वतंत्रता के बाद से अब तक के संबंध कई मुद्दों पर सहयोगात्मक रहे तो कई मुद्दों पर विवादास्पद एवं टकराव के भी रहे। इनका विवेचन निम्नानुसार है।

### सहयोगात्मक मुद्दे

#### 1. केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, (काजरी) जोधपुर

केन्द्र सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु अक्टूबर 1952 में (Desert Afforestation Research Station) मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केन्द्र की स्थापना जोधपुर में की थी। 1957 में परिवर्तन कर इसका नाम Desert Afforestation and Social Conservation कर दिया तथा अन्त में इसे (Central Arid Zone Research Institute) काजरी का रूप दे दिया जिसका कार्य था मरुस्थली समस्याओं पर शोध करना। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि की उपज में वृद्धि करना तथा मरुस्थल को रोकने हेतु वृक्षारोपण करना है। यह केन्द्र सरकार के साथ राजस्थान सरकार के सौहार्दपूर्ण संबंधों का परिचायक रहा है।

#### 2. चम्बल नदी घाटी परियोजना

चम्बल नदी घाटी परियोजना का कार्य 1953–54 में प्रारम्भ किया गया यह परियोजना मध्यप्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 50 प्रतिशत है। 1960 में मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले की भानपुर तहसील में (चौरासीगढ़ के पास) गाँधी सागर बॉध बनाया गया यह बॉध 510 मीटर लम्बा व 62 मीटर चौड़ा है। चितौडगढ़ जिले में चुलिया जल प्रपात के पास राणा प्रताप सागर बॉध बनाया गया है जिस पर परमाणु बिजली घर की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई है। वर्तमान में इसकी चार इकाईयों कार्यरत हैं। यह बॉध 1100 मी. लम्बा व 36 मी. ऊँचा है। कोटा नगर के पास कोटा बैराज बनाया गया है। कोटा बैराज से दो नहरें दायीं और बायीं निकाली गई हैं। जिसमें से दायीं नहर राजस्थान व मध्यप्रदेश दोनों में सिंचाई करती है बायीं नहर राजस्थान में 178 किमी. लम्बी है जो सिंचाई के काम आती है। कनाडा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के सहयोग से चम्बल

राजस्थान व केन्द्र के मध्य सम्बन्धः एक विवेचना

डॉ. ममता शर्मा

कमांड क्षेत्र में राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना से 4.5 लाख हैक्टीयर भूमि में सिंचाई की जाती है। इसमें राजस्थान के मुख्यतः कोटा व बूंदी जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है।

चम्बल नदी के बहाव क्षेत्र में न आने वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु चम्बल नदी पर 8 लिफ्ट योजनाएँ बनाई गई हैं। जालीपुरा लिफ्ट स्कीम व दीगोद लिफ्ट स्कीम (कोटा), अंता लिफ्ट स्कीम, अंता लिफ्ट माइनर, पचेल लिफ्ट स्कीम, गणशगंज लिफ्ट स्कीम, सोरखंड लिफ्ट स्कीम एवं कचारी लिफ्ट स्कीम (बांरा)।

### 3. भाँखड़ा नॉगल परियोजना

यह राजस्थान हरियाणा व पंजाब की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है इस परियोजना का निर्माण स्वतंत्रता के बाद मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ। भाँखड़ा नॉगल परियोजना में सतलज नदी पर भाँखड़ा एवं नॉगल स्थानों पर निम्न दो बांध बनाए गए हैं – भाखड़ा बांध विश्व का दूसरा एवं एशिया का सबसे ऊँचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्व सीधा बांध है इसकी आधारशिला 17 नवम्बर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने रखी तथा निर्माण अमरीकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकिन के निर्देशन में अक्टूबर 1962 में पूर्ण हुआ इसे जवाहर लाल नेहरू द्वारा 22 अक्टूबर 1963 को राष्ट्र के समर्पित किया गया। नेहरू जी ने इसे “पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर (New Temple of resurgent India)” कहा था तथा इसे “एक चमत्कारिक विराट वस्तु” की संज्ञा दी थी जिसे देखकर व्यक्ति रोमांचित हो उठता है। भांखड़ा बांध पर निम्न दो विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं – (1) बायां किनारा विद्युत गृह – 540 MW (5x108MW) (ii) दायां किनारा विद्युत गृह – 785 MW (5x157MW) भाँखड़ा बांध के पीछे बिलासपुर हिमाचल में विशाल जलाशय का नाम गोविन्द सागर है। जो राजस्थान पंजाब हरियाणा की पेयजल एवं सिंचाई तथा दिल्ली व चंडीगढ़ की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करता है।

### 4. व्यास परियोजना

यह सतलज रावी, व्यास नदियों के जल का उपयोग करने हेतु पंजाब राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है इसमें व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में निम्न दो बांध बनाये गये हैं। – (1) पंडोह बांध – पंडोह बांध (हिमाचल प्रदेश में मण्डी कस्बे से 21 किमी. दूर) स्थान पर इस बांध से व्यास सतलज लिंक नहर निकालकर देहर (हिमाचल प्रदेश) स्थान पर 990 मेगावाट (165 मेगावाट x6) का

विद्युत गृह स्थापित किया गया है। (2) पोंग बांध – कांगड़ा जिले के पोंग स्थान पर (हिमाचल प्रदेश) निर्मित है। राजस्थान को रावी व्यास नदियों के जल में अपने हिस्से का सर्वाधिक जल इसी बांध से प्राप्त होता है। पोंग, बांध का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी परियोजना को शीतकाल में जल की आपूर्ति बनाए रखना है। इसी बांध पर 396 मेगावाट का 66x6 का विद्युत गृह स्थापित किया गया है।

### 5. माही बजाज सागर परियोजना

राजस्थान व गुजरात की इस साझी बहुउद्देशीय परियोजना हेतु 1966 में समझौता हुआ। 1971 में परियोजना पर कार्य आरंभ हुआ। इसमें माही नदी पर बांसवाडा शहर के निकट बोरखेड़ा गाँव में माही बजाज सागर बांध (पक्का बांध) तथा गुजरात में कड़ाना बांध बनाया गया है। कड़ाना बांध की सम्पूर्ण लागत गुजरात राज्य द्वारा वहन की गई है तथा वही इसका लाभार्थी है। लेकिन इस समझौते के अनुसार नमेदा परियोजना के पूर्ण हो जाने पर इसमें राजस्थान को भी जल उपलब्ध होगा। इस परियोजना की स्थापित विद्युत क्षमता 140 मेगावाट है तथा इससे 80,000 हैविटर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरुद्ध माह मार्च 2012 तक 8407 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सुजन किया जा चुका है। इसकी समस्त विद्युत केवल राजस्थान

राजस्थान व केन्द्र के मध्य सम्बन्ध: एक विवेचना

डॉ. ममता शर्मा

को प्राप्त होती है इसमें राजस्थान के डूँगरपुर जिले की आसपुर, सागवाड़ा एवं सीमलबाड़ा तहसील व बॉसवाड़ा जिलों के जनजाति क्षेत्रों में सिचाई उपलब्ध होती है। प्रथम इकाई इसमें 3109 भीटर लम्बे माही बजाज सागर बांध का निर्माण 1983 में पूर्ण किया गया जिसकी लागत राजस्थान व गुजरात ने 45:55 के अनुपात में वहन की है।

#### **6. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (राजस्थान नहर परियोजना) (IGNP)**

सर्वप्रथम सतलज व व्यास नदियों के संगम पर पंजाब में फिरोजपुर के निकट हरि के बैराज का निर्माण सन् 1952 में किया गया था इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का श्रीगणेश तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री स्व. श्री गोविन्द बल्लभ पंत ने 31 मार्च 1953 को किया इन्दिरा गांधी नहर के दो भाग है। (1) राजस्थान फीडर (2) मुख्य नगर। इन्दिरा गांधी नहर का कार्य दो चरणों में हुआ – प्रथम चरण राजस्थान की फीडर 204 किमी। (189 मुख्य नहर पुंगल गांव के समीप छातरगढ़ के निकट सत्तासरत तक का निर्माण किया गया, जिसका 169 किमी. भाग पंजाब व हरियाणा में तथा राजस्थान में 35 किमी. है। राजस्थान फीडर हरि के बैराज से हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली हैड तक है प्रथम चरण में बनी 3 हजार 75 किमी लम्बी वितरिकाओं से 9.77 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई की जा रही है, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा व पुंगल शाखा इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण की प्रमुख शाखाएं हैं। प्रथम चरण का कार्य 1975 में लगभग पूर्ण हुआ तथा द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ हुआ। दूसरा चरण बीकानेर के ऐतिहासिक पुंगल गांव के सत्तासर से प्रारम्भ हुआ। द्वितीय चरण में 256 किमी. मुख्य नहर तथा 5112 किमी लम्बी वितरण प्रणाली का निर्माण किया गया था जो 31 दिसम्बर 1986 को पूर्ण हुआ (256 किमी. मुख्य नहर) इन्दिरा गांधी मुख्य नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं।

#### **7. नर्मदा परियोजना सरदार सरोवर परियोजना**

गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान का संयुक्त प्रयास है। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 एम.ए.एफ. निर्धारित किया गया था। इस जल के उपयोग हेतु गुजरात के सरदार सरोवर बौद्ध से नर्मदा नहर निकाली जा रही है, जो 458 किमी. गुजरात में तथा 74 किमी. राजस्थान में होगी तथा इसकी वितरिकाओं की लम्बाई 1403 किमी. होगी। यह नहर राजस्थान के जालौर जिले की सांचौर तहसील के सील गांव में प्रवेश करती है। राजस्थान नर्मदा परियोजना की प्रथम इकाई पर कुल लागत का 2.31 प्रतिशत तथा द्वितीय इकाई का 11 प्रतिशत वहन करेगा। इस परियोजना से जालौर की सांचौर तहसील तथा बाड़मेर में सिचाई होगी। संशोधित योजना के अनुसार जालौर व बाड़मेर के 233 गांवों की 2.46 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि में सिचाई सुविधा तथा 1107 गांवों व 2 कस्बों को पेयजल उपलब्ध होगा।

इनके अलावा राजस्थान में केन्द्र सरकार के कई उपक्रम भी कार्यरत हैं जैसे—

- (i) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (उदयपुर)
- (ii) हिन्दुस्तान कॉपर लि. (खेतड़ी)
- (iii) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर
- (iv) सोंभर साल्ट लिमिटेड
- (v) इन्स्ट्रमेंटेशन लि. कोटा
- (vi) मार्डन बेकरीज

- (vii) राजस्थान झग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. जयपुर
- (viii) राजस्थान परमाणु शक्तिगृह रावत भाटा (चितौड़गढ़)
- (ix) सलाल परियोजना उधमपुर (जम्मू कश्मीर): इसमें राजस्थान प्रदेश का 2.95 प्रतिशत हिस्सा है यह राष्ट्रीय हाइड्रोपॉवर कारपोरेशन (NHPC) द्वारा संचालित है इसमें राजस्थान, उत्तरप्रदेश, जम्मू कश्मीर व पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व चण्डीगढ़ लाभान्वित होते हैं इसकी कुल क्षमता 690 मेगावाट है इसमें राजस्थान का अंश 20.355 मेगावाट है। यह विनाब नदी पर स्थापित की गई है।
- (x) उरी-1 परियोजना, चमेरा परियोजना, तनकपुर परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, धौली गंगा परियोजना, पार्वती पन विद्युत परियोजना, अनास विद्युत परियोजना, राहुघाट परियोजना, जाखम बांध, लधुथन परियोजना, कोल बांध जल विद्युत परियोजना में भी राजस्थान की हिस्सेदारी है।

### **विवादास्पद मुद्दे**

#### **1. सतलज, रावी, व्यास जल विवाद**

यह जल विवाद पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों के मध्य अवस्थित है। जल विभाजन से संबंधित नीति निर्धारित करने एवं सभी पक्षों के अध्ययन के लिए रावी-व्यास अधिकरण 2 अप्रैल 1986 में को गठन किया गया इसने अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी 1987 को प्रस्तुत की, केन्द्र सरकार ने अपनी तरफ से लाभग्राही राज्यों से रिपोर्ट के कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा। राज्यों द्वारा स्पष्टीकरण के अधिकरण के पास वापस अन्तिम सुनवाई 18 जुलाई 1998 को पूर्ण की उच्चतम न्यायालय केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद विवाद समाप्त नहीं हो सका।

#### **2. ऊपरी यमुना नदी जल विवाद**

यह विवाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मध्य है। मई 1944 में सह बेसिन राज्यों के मध्य यमुना नदी के उपयोग योग्य, सतही प्रवाहों के आवंटन पर लाभार्थी राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा एक समझौता किया गया जल संग्रहण हेतु यमुना नदी पर हथिनी कुण्ड बांध के निमार्ण संबंधी समझौते पर 2 जनवरी 1994 के हस्ताक्षर हुए। 6 नवम्बर 1994 के टॉस नदी पर किशाऊ बांध और गिरी नदी पर रेणुका बांध और गिरी नदी पर रेणुका बांध बनाने संबंधी समझौते पर राजस्थान को छोड़कर अन्य सभी सह-बेसिन राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। केन्द्र सरकार द्वारा 11 मार्च 1995 के ऊपरी नदी बोर्ड का गठन किया गया (Upper Yamuna River Board – UYRB) इस बोर्ड को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया गया। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में “ऊपरी यमुना समीक्षा समिति” नाम की एक समिति भी गठित की गई जिसके सदस्य सह बेसिन, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बनाया गया। इस जल विवाद का अभी तक निपटारा नहीं हो पाया है।

#### **3. राजस्थान-गुजरात माही नदी जल विवाद**

माही नदी के जल को लेकर राजस्थान व गुजरात के मध्य सन् 1966 के अन्तर्राज्यीय नदी जल समझौता हुआ जिसमें कहा गया की माही बजाज सागर बांध से माही नदी का 40 टी.एम.सी. पानी कडाना बांध के माध्यम से गुजरात को दिया जायेगा। कडाना का पानी प्राप्त करना राजस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण है।

नर्मदा का पानी गुजरात होकर आने के कारण राजस्थान उससे संबंध बिगड़ने की स्थिति में नहीं है। इस विवाद को ध्यान में रखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 मार्च 2006 के जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में

**राजस्थान व केन्द्र के मध्य सम्बन्ध: एक विवेचना**

डॉ. ममता शर्मा

घोषित किया कि राजस्थान को नर्मदा का पानी चार माह में वितरित कर दिया जायेगा। समारोह के दौरान मोदी ने कहा कि इसके लिए बांध की ऊंचाई 121 मीटर की जायेगी तथा इसकी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।

### 5. राजस्थान मध्य प्रदेश विवाद

मध्यप्रदेश में स्टॉप बांध बनने व कोटा के गांधी सागर में कम पानी उपलब्ध होने से राजस्थान व मध्यप्रदेश सरकार के मध्य कई वर्षों से विवाद अवस्थित है। दोनों राज्यों की सरकारों ने इस बिन्दु पर सहमति प्रकट की है कि यदि राजस्थान को उसके भाग का पानी कम प्राप्त होता है तो कोटा से मध्य प्रदेश के उतना ही कम पानी मिलेगा मध्य प्रदेश ने गांधी सागर के जल ग्रहण क्षेत्र में अनुमानित तीन बांधों का निर्माण करके व स्टॉप बांध के माध्यम से गांधी सागर में आने वाले पानी को रोक दिया।

### निष्कर्ष

उपरोक्त बिन्दुवार तथ्यों से स्पष्ट है कि आजादी के बाद केंद्र और राजस्थान के आपसी संबंध लगातार एक जैसे नहीं रहे। दोनों जगह ज्यादातर अलग अलग राजनैतिक दलों की सरकारें सत्ता में रहे। कुछ मुद्दों पर टकराव रहा पर ज्यादातर सहयोगात्मक संबंध ही रहे। यह सहयोगात्मक मुद्दों की अधिक व विवादास्पद मुद्दों की कम संख्या से समझा जा सकता है।

\*व्याख्याता  
राजनीति विज्ञान विभाग  
राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़ (राज.)

### सन्दर्भ सूची

1. सुजस, जनसम्पर्क एवं सूचना विभाग, राजस्थान सरकार, 20 मार्च 2015 अंक 2.
2. गोस्वामी, कुसुमलता. ख. श्री मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति ग्रंथ, संस्कृत कल्पतरु प्रकाशन समिति, जयपुर 1983, पृ.सं. 01.
3. अनुच्छेद...214, भारत का संविधान
4. 74वाँ संविधान संशोधन, 1 जून 1993
5. भारत का संविधान : 11वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 छ)
6. अम्बेडकर, डॉ. बी.आर. सी.ए.डी. वॉल्यूम-IX] पृ.सं. 177
7. राव, वी.के., पॉर्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी ऑफ इण्डिया, 2<sup>nd</sup> ed., पृ.सं. 218.